

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप..प्रकरण क्र. 228 / 09

संस्थित दि.: 11 / 05 / 09

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
अन्तर्गत चौकी पाथरी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

उमाशंकर पिता तिलकचंद पटले, उम्र 36 साल,
ग्राम मोहगांव थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 04 / 09 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 23 / 03 / 2009 को समय 04:00 बजे नयाटोला भुर्रुक जोगीझण्डा नाले के पास आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड मिट्टी खदान में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न करते हुए लापरवाहीपूर्वक कार्य करवाकर मृतक घनश्याम की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी छबिलाल ने पुलिस चौकी पाथरी में मार्ग इंटीमेशन लेख कराया कि उसका छोटा साला घनश्याम झण्डा नाला के पास गिट्टी खदान में गिट्टी तोड़ने का कार्य कर रहा था। उसी समय ऊपर से पत्थर घनश्याम पर गिर गया, जिससे दबकर उसकी मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में मार्ग क्रमांक 12 / 09 द्वारा 174 जा.फौ. का पंजीबद्ध कर जांच में पाया गया कि मृतक घनश्याम ग्राम नयाटोला भुर्रुक में गिट्टी खदान में काम कर रहा था। काम करते समय उसकी मृत्यु हो गई। गिट्टी खदान में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किये थे। लापरवाहीपूर्वक कार्य करता रहा

था। आरोपी उमाशंकर के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से आरोपी उमाशंकर के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी ने दिनांक 23/03/2009 को समय 04:00 बजे नयाटोला भुरुक जोगीझण्डा नाले के पास आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड गिट्टी खदान में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न करते हुए लापरवाहीपूर्वक कार्य करवाकर मृतक घनश्याम की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

(06) अभियोजन साक्षी/फरियादी छबिलाल (अ.सा.01) का कहना है कि घटना वर्ष 2009 की है। घनश्याम बकरी चराने गिट्टी खदान के पास गया था। गिट्टी खिसकी तो दब गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घनश्याम के पिता के साथ उसने थाने पर जाकर सूचना दी थी, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जहां घटना हुई वहां गिट्टी तुड़ाई का काम नहीं होता है। घटना

आरोपी की गलती से नहीं हुई।

(07) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी फूलसिंह (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन से तीन वर्ष पुरानी ग्राम कटंगी में खण्डर नाला के पास की है। घनश्याम बकरी चराने गया था। खदान में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस जांच करने आई थी और मौका नक्शा बनाया, जो प्रदर्श पी-03 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर गिट्टी तुड़ाई का कार्य नहीं हो रहा था। गिट्टी खदान पहले से है। उसका लड़का घनश्याम बकरी चराने गया था। उसका पैर सिलिप होने से गिर गया आरोपी की लापरवाही नहीं थी।

(08) अभियोजन साक्षी कुवरिनबाई (अ.सा.04) का भी कहना है कि उसका लड़का दो वर्ष पहले बकरी चराने गया था। खदान में दब गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि घटना आरोपी उमाशंकर की लापरवाही से नहीं हुई। घनश्याम की मृत्यु पैर सिलिप होने से गिरने के कारण हुई थी।

(09) अभियोजन साक्षी मंशाराम (अ.सा.05) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से पांच वर्ष पुरानी है। घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। उसे बाद में पता लगा कि उसके बड़े भाई घनश्याम की ग्राम कटंगी की गिट्टी के गढ़ढे में गिरने से और पत्थर गिरने से मृत्यु हो गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि गिट्टी खदान आरोपी उमाशंकर की थी और आरोपी ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किये थे। यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो घनश्याम की मृत्यु नहीं होती किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह मौजूद नहीं था। घटना के बारे में उससे लोगों द्वारा बताया गया था तब उसे घटना के संबंध में पत चला। घटना आरोपी की लापरवाही से नहीं हुई।

(10) अभियोजन साक्षी सम्मलसिंह (अ.सा.06) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से चार वर्ष पुरानी जोगीझण्डा नाला के पास खदान की है। वह लोगों के साथ घटनास्थल पर गया था वहां मृतक घनश्याम का शव निकालकर ऊपर रखा हुआ था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि घनश्याम आरोपी की गिट्टी खदान में दिनांक 23.03.09 को गिट्टी तोड़ने गया था। आरोपी ने पर्याप्त सुरक्षा के साधन नहीं किये यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये होते तो घनश्याम की मृत्यु नहीं होती किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि गिट्टी खदान आरोपी की है वह लोगों के बताने से वह बता रहा है घटना के बारे में बताने पर वह घटनास्थल पर गया था। उसे नहीं मालूम की आरोपी गिट्टी खदान का मालिक है।

(11) अभियोजन साक्षी रजन (अ.सा.07) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के तीन वर्ष पुरानी हैं उसकी पत्नी बसन्त गिट्टी तोड़ने के लिये गई थी उसने बताया कि घनश्याम फिसर के गिट्टी खदान में दब गया तो वह घटनास्थल पर गया घनश्याम की मृत्यु हो चुकी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि आरोपी उमाशंकर गिट्टी खदान में लापरवाही से कार्य करवा रहा था।

(12) अभियोजन साक्षी रामदयाल (अ.सा.08) का कहना है कि घटना उसके कथन के लगभग 6-7 वर्ष पुरानी शाम के 07:00 बजे की जोगी झण्डा नाला भुर्रा में आरोपी की गिट्टी खदान की है। घटना के समय वह उसके घर पर था। गांव वाले लोगों ने उसे बताया कि वह उनके साथ घटनास्थल पर गया था। घनश्याम को गिट्टी खदान का पत्थर सीने पर लगा हुआ था और फूलसिंह और उसकी पत्नी ने पत्थर हटाकर बाहर निकाला तब घनश्याम की मृत्यु हो चुकी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचन प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि आरोपी उमाशंकर ने मजदूरों के लिये काम करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई थी

गिट्टी खदान के मालिक उमाशंकर की लापरवाही के कारण घनश्याम की मृत्यु हुई थी किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि घटना के सम्बन्ध में फूलसिंह और उसकी पत्नी ने उसे बताया। घटना कैसे हुई उसकी जानकारी उसे नहीं है। घटना होने के बाद वह घटनास्थल पर गया था। घटना दिनांक घनश्याम बकरी चराने गया था। घटना दिनांक गिट्टी खदान में गिट्टी बनाने का कार्य नहीं हो रहा था। आरोपी उमाशंकर के द्वारा लापरवाही से कोई कार्य नहीं कराया जा रहा था।

(13) अभियोजन साक्षी जमुनाबाई (अ.सा.09) का कहना है कि घटना के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(14) अभियोजन साक्षी देवलाल (अ.सा.10) का कहना है कि घटना उसके कथन के लगभग पांच वर्ष पुरानी हैं वह आरोपी की गिट्टी खदान में अन्य लोगों के साथ काम कर रहा था। 04:30 बजे उसे मालूम हुआ कि घनश्याम की गिट्टी खदान धसने से मृत्यु हो गई। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि कटंगी भूरूक के सभी व्यक्ति गिट्टी तोड़कर बेचते हैं। आरोपी द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा था। आरोपी की लापरवाही से घटना नहीं हुई।

(15) कायमीकर्ता अभियोजन साक्षी सुरेश विजयावार (अ.सा.12) का कहना है कि मृतक घनश्याम की मृत्यु के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिनांक 24.03.2009 को मार्ग क्रमांक 0/09 धारा 174 जा.फौ. चौकी पाथरी के आरक्षक सुरेश द्वारा पेश करने पर उसने असल कायमी मार्ग क्रमांक 12/09 किया था, जो प्रदर्श पी-09 है। चौकी पाथरी आरक्षक रेशनलाल द्वारा अपराध क्रमांक 0/09 धारा 304ए भा.दं.वि. आरोपी उमाशंकर के विरुद्ध असल कायमी पेश किया था, जिस पर से उसने अपराध क्रमांक 16/09 की असली कामयी थी, जो प्रदर्श पी-10 है।

(16) अभियोजन साक्षी दिनेश तिवारी (अ.सा.11) का कहना है कि उसने मार्ग क्रमांक 0/09 असल कायमी हेतु मलाजखण्ड भेजा था जो प्रदर्श पी-05 है। मृतक

घनश्याम की मृत्यु की सूचना दी थी, जो प्रदर्श पी-06 है। नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-02 है। फूलसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 बनाया था। आरोपी उमाशंकर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0 / 09 अन्तर्गत धारा 304ए भा.दं.वि. का अपराध कायम किया था, जो प्रदर्श पी-07 है। अपराध क्रमांक 16 / 09 विवेचना में दौरान फूलसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 बनाया था। फरियादी छबिलाल साक्षी फूलसिंह कुवरिनबाई, जमुनाबाई, मंशाराम, सम्मलसिंह, देवलाल, रंजनसिंह, रामदयाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-08 बनाया था।

(17) अभियोजन साक्षी डॉ.एम.मेश्राम (अ.सा.01) का भी कहना है कि उसने दिनांक 24.03.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में मृतक घनश्याम का शव परीक्षण किया था। मृत्यु के पश्चात् अकड़न मौजूद थी। मृतक की आंखे अधखुली थी, सिर के बांये भाग पर कटी-फटी चोट 2X2 इंच, मांथे के दांये एवं बांये भाग पर बहुत सारी चोटे एवं खरौंचे, पीठ पर बांये एवं दांये ओर सूजन, सीने के बांये भाग पर बहुत सारी खरौंचे, बांयी अग्र भुजा पर भी बहुत सारी खरौंचे दाहिनी उपरी भुजा पर भी खरौंचे, बांयी जांघ पर सूजन, कटी-फटी चोट, फीमर हड्डी टूट कर बाहर आ गई थी। बांये पैर की पिलिया एवं फिबुला हड्डी टूट कर बाहर आ गई थी। आन्तरिक परीक्षण में पाया कि छाती की बांयी पसली टूटी हुई थी, बांया फेफड़ा भी फटा हुआ था, श्वास नली में भी खून भरा हुआ था, बांये फेफड़े का मध्य भाग फटा हुआ था, यकृत के दाहिने पीछे का भाग फटा हुआ था, दोनों गुर्दों के उपर खून के धक्के जमे हुये थे, पेट में खून भरा हुआ था। मृतक की मृत्यु का कारण फेफड़े, यकृत, तिल्ली के फटने के फलस्वरूप एवं अत्याधिक रक्तस्त्राव के कारण होना पाया था। मृतक की मृत्यु 12 घन्टे के अन्दर की होना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 है।

(18) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है।

फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने हेतु पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और असत्य कथन किये हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का भी प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(19) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(20) कायमीकर्ता अभियोजन साक्षी सुरेश विजयावार (अ.सा.12) का कहना है कि मृतक घनश्याम की मृत्यु के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिनांक 24.03.2009 को मर्ग क्रमांक 0/09 धारा 174 जा.फौ. चौकी पाथरी के आरक्षक सुरेश द्वारा पेश करने पर उसने असल कायमी मर्ग क्रमांक 12/09 किया था, जो प्रदर्श पी-09 है। चौकी पाथरी आरक्षक रोशनलाल द्वारा अपराध क्रमांक 0/09 धारा 304ए भा.दं.वि. आरोपी उमाशंकर के विरुद्ध असल कायमी पेश किया था, जिस पर से उसने अपराध क्रमांक 16/09 की असली कामयी थी, जो प्रदर्श पी-10 है एवं अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता दिनेश तिवारी (अ.सा.11) का कहना है कि उसने मर्ग क्रमांक 0/09 असल कायमी हेतु मलाजखण्ड भेजा था जो प्रदर्श पी-05 है। मृतक घनश्याम की मृत्यु की सूचना दी थी, जो प्रदर्श पी-06 है। नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-02 है। फूलसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 बनाया था। आरोपी उमाशंकर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/09 अन्तर्गत धारा 304ए भा.दं.वि. का अपराध कायम किया था, जो प्रदर्श पी-07 है। अपराध क्रमांक 16/09 विवेचना में दौरान फूलसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 बनाया था। फरियादी छबिलाल साक्षी फूलसिंह कुवरिनबाई, जमुनाबाई, मंशाराम, सम्मलसिंह, देवलाल, रंजनसिंह, रामदयाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-08 बनाया था।

(21) अभियोजन साक्षी डॉ.एम.मेश्राम (अ.सा.01) का भी कहना है कि उसने

दिनांक 24.03.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में मृतक घनश्याम का शव परीक्षण किया था। मृत्यु के पश्चात् अकड़न मौजूद थी। मृतक की आंखें अधखुली थी, सिर के बांये भाग पर कटी-फटी चोट 2x2 इंच, मांथे के दांये एवं बांये भाग पर बहुत सारी चोटे एवं खरौंचे, पीठ पर बांये एवं दांये ओर सूजन, सीने के बांये भाग पर बहुत सारी खरौंचे, बांयी अग्र भुजा पर भी बहुत सारी खरौंचे दांहिनी उपरी भुजा पर भी खरौंचे, बांयी जांघ पर सूजन, कटी-फटी चोट, फीमर हड्डी टूट कर बाहर आ गई थी। बांये पैर की पिलिया एवं फिबुला हड्डी टूट कर बाहर आ गई थी। आन्तरिक परीक्षण में पाया कि छाती की बांयी पसली टूटी हुई थी, बांया फेफड़ा भी फटा हुआ था, श्वास नली में भी खून भरा हुआ था, बांये फेफड़े का मध्य भाग फटा हुआ था, यकृत के दाहिने पीछे का भाग फटा हुआ था, दोनों गुर्दों के उपर खून के धक्के जमे हुये थे, पेट में खून भरा हुआ था। मृतक की मृत्यु का कारण फेफड़े, यकृत, तिल्ली के फटने के फलस्वरूप एवं अत्याधिक रक्तस्त्राव के कारण होना पाया था। मृतक की मृत्यु 12 घन्टे के अन्दर की होना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 है।

(22) किन्तु अभियोजन साक्षी/फरियादी छबिलाल (अ.सा.02) का कहना है कि घटना वर्ष 2009 की है। घनश्याम बकरी चराने गिट्टी खदान के पास गया था। गिट्टी खिसकी तो दब गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घनश्याम के पिता के साथ उसने थाने पर जाकर सूचना दी थी, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जहां घटना हुई वहां गिट्टी तुड़ाई का काम नहीं होता है। घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई।

(23) अभियोजन साक्षी फूलसिंह (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन से तीन वर्ष पुरानी ग्राम कटंगी में खण्डर नाला के पास की है। घनश्याम बकरी चराने गया था। खदान में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस जांच करने आई थी और मौका नक्शा बनाया, जो प्रदर्श पी-03 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर

है किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर गिट्टी तुड़ाई का कार्य नहीं हो रहा था। गिट्टी खदान पहले से है। उसका लड़का घनश्याम बकरी चराने गया था। उसका पैर सिलिप होने से गिर गया आरोपी की लापरवाही नहीं थी।

(24) अभियोजन साक्षी कुवरिनबाई (अ.सा.04) का भी कहना है कि उसका लड़का दो वर्ष पहले बकरी चराने गया था। खदान में दब गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि घटना आरोपी उमाशंकर की लापरवाही से नहीं हुई। घनश्याम की मृत्यु पैर सिलिप होने से गिरने के कारण हुई थी।

(25) अभियोजन साक्षी मंशाराम (अ.सा.05) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से पांच वर्ष पुरानी है। घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। उसे बाद में पता लगा कि उसके बड़े भाई घनश्याम की ग्राम कटंगी की गिट्टी के गढ़वे में गिरने से और पत्थर गिरने से मृत्यु हो गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि गिट्टी खदान आरोपी उमाशंकर की थी और आरोपी ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किये थे। यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो घनश्याम की मृत्यु नहीं होती किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह मौजूद नहीं था। घटना के बारे में उससे लोगों द्वारा बताया गया था तब उसे घटना के संबंध में पत चला। घटना आरोपी की लापरवाही से नहीं हुई।

(26) अभियोजन साक्षी सम्मलसिंह (अ.सा.06) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से चार वर्ष पुरानी जोगीझण्डा नाला के पास खदान की है। वह लोगों के साथ घटनास्थल पर गया था वहां मृतक घनश्याम का शव निकालकर ऊपर रखा हुआ था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि घनश्याम आरोपी की गिट्टी खदान में दिनांक 23.03.09 को गिट्टी तोड़ने

गया था। आरोपी ने पर्याप्त सुरक्षा के साधन नहीं किये यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये होते तो घनश्याम की मृत्यु नहीं होती। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि गिट्टी खदान आरोपी की है वह लोगों के बताने से वह बता रहा है। घटना के बारे में बताने पर वह घटनास्थल पर गया था। उसे नहीं मालूम की आरोपी गिट्टी खदान का मालिक है।

(27) अभियोजन साक्षी रजन (अ.सा.07) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के तीन वर्ष पुरानी हैं उसकी पत्नी बसन्त गिट्टी तोड़ने के लिये गई थी उसने बताया कि घनश्याम फिसर के गिट्टी खदान में दब गया तो वह घटनास्थल पर गया घनश्याम की मृत्यु हो चुकी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि आरोपी उमाशंकर गिट्टी खदान में लापरवाही से कार्य करवा रहा था।

(28) अभियोजन साक्षी रामदयाल (अ.सा.08) का कहना है कि घटना उसके कथन के लगभग 6-7 वर्ष पुरानी शाम के 07:00 बजे की जोगी झण्डा नाला भुर्रा में आरोपी की गिट्टी खदान की है। घटना के समय वह उसके घर पर था। गांव वाले लोगों ने उसे बताया कि वह उनके साथ घटनास्थल पर गया था। घनश्याम को गिट्टी खदान का पत्थर सीने पर लगा हुआ था और फूलसिंह और उसकी पत्नी ने पत्थर हटाकर बाहर निकाला तब घनश्याम की मृत्यु हो चुकी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचन प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि आरोपी उमाशंकर ने मजदूरों के लिये काम करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई थी गिट्टी खदान के मालिक उमाशंकर की लापरवाही के कारण घनश्याम की मृत्यु हुई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि घटना के सम्बन्ध में फूलसिंह और उसकी पत्नी ने उसे बताया। घटना कैसे हुई उसकी जानकारी उसे नहीं है। घटना होने के बाद वह घटनास्थल पर गया था। घटना दिनांक घनश्याम बकरी चराने गया था। घटना दिनांक गिट्टी खदान में गिट्टी बनाने का कार्य नहीं हो रहा था। आरोपी

उमाशंकर के द्वारा लापरवाही से कोई कार्य नहीं कराया जा रहा था।

(29) अभियोजन साक्षी जमुनाबाई (अ.सा.09) का कहना है कि घटना के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(30) अभियोजन साक्षी देवलाल (अ.सा.10) का कहना है कि घटना उसके कथन के लगभग पांच वर्ष पुरानी हैं वह आरोपी की गिट्टी खदान में अन्य लोगों के साथ काम कर रहा था। 04:30 बजे उसे मालूम हुआ कि घनश्याम की गिट्टी खदान धसने से मृत्यु हो गई। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि कटंगी भूरूक के सभी व्यक्ति गिट्टी तोड़कर बेचते हैं। आरोपी द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा था। आरोपी की लापरवाही से घटना नहीं हुई।

(31) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से मृतक घनश्याम की मृत्यु गिट्टी खदान धसने से हुई यह तो अभियोजन साक्षियों के कथनों से प्रकट होता है किन्तु आरोपी उमाशंकर की लापरवाही से मृतक घनश्याम की मृत्यु कारित हुई यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से प्रकट नहीं होता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में भी गम्भीर विरोधाभास है एवं साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हुआ है।

(32) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी उमाशंकर ने दिनांक 23/03/2009 को समय 04:00 बजे नयाटोला भूरूक जोगीझण्डा नाले के पास आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड गिट्टी खदान में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न करते हुए लापरवाहीपूर्वक कार्य करवाकर मृतक घनश्याम की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

(33) परिणाम स्वरूप आरोपी उमाशंकर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(34) प्रकरण में आरोपी उमाशंकर पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)